न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 405/2024

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

रसप्रीत कौर पत्नी हरनारायण सिह जाति जटसिख सां.ढाणी चक 21 एमजेडी (बगुलावाली) तह.संगरिया।

बनाम

1. आला पुत्र महताब सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
2. मेजर सिह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
3. सुखपाल सिह उर्फ गोरा पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
4. जग्गा सिह पुत्र मोहन सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
5. लाल सिह पुत्र मोहन सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
6. नर सिह पुत्र जगर सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
7. सुखमन्द्र सिह पुत्र जगर सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
8. नाजम सिह पुत्र गनी सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
9. मुखत्यार सिह पुत्र चुनी सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
10. स्वर्ण सिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
11. जगसीर सिह पुत्र मल सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
12. रामरतन पुत्र सीतामल जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
13. रोनकराम पुत्र सीतामल जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
14. लाल सिह पुत्र महताब सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
15. सन्तलाल पुत्र लक्ष्मणदास जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
16. सरजीत कौर पुत्री इशर सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
17. सरजीत सिह पुत्र महताब सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
18. सागर सिह पुत्र कुण्डा सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
19. रविन्द्र सिह पुत्र मंगल सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
20. मलकीत सिह पुत्र आत्मासिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
21. जसवीर कौर पुत्री आत्मासिह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिखं सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
22. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील––वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 19 ता 21

–: निर्णय :– दिनांक :– 13.5.2024

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रति स. 19 ता 21 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक आत्मा सिह पुत्र ईशर सिह के वारिसान है। वादीया एवं प्रति सं. 19 के दादा व प्रति स. 20 व 21 के पिता के नाम चक 3 ए.एम.पी खाता स. 81/53 खाता आला वगैरा ज.स. 2072–75 में सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। कुल आराजी का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

विवरण निम्न प्रकार सें है। चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 81/53 मे दर्ज कुल 0.531 है० आराजी .पर्चा खतौनी ाम लम्बीढाब चक 3. ए.एम.पी. के खाता स. 29 में सांझा खाता में आत्मा सिह पुत्र ईशर सिह के नाम 100 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त पर्चा खतौनी की नकल संलग्न है। लेकिन उसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारीयों द्वारा आगामी जमाबन्दी तैयार करते समय आत्मा सिह पुत्र ईशर सिह का नाम लिपीकीय त्रुटी के कारण तथा सहबन से आसा सिह पुत्र ईशर सिह दर्ज कर दिया गया है। जो कि बदस्तुर उक्त चक 3 ए. म.पी. के वर्तमान जमाबन्दी सवंत 2072–75 के खाता स. 81/53 खाता आला वगैरा में गलत रूप से आसा सिह पुत्र ईशर सिह चला आ रहा है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहबन से तथा लिपीकीय भुलवश हुई है। जो कि काबिल दुरूस्ती है। अतः वादी उक्त चक ३ ए.एम.पी. खाता स. 81/53 खाता आला वगैरा ज.स. 2072–75 में अपने दादा का नाम दुरूस्त करवा आसा सिह पुत्र ईशर सिह के स्थान पर आत्मा सिह पुत्र ईशर सिह दर्ज करवा इसी मुताबिक जमाबन्दी दुरूस्त करवाने की अधिकारी एंव दावेदार है। दावा की दफा 4 में दर्ज वादग्रस्त आराजी आत्मा सिह पुत्र ईशर सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया तथा प्रति स. 19 ता 21 जो कि फौत हो गये है। जिनके वारिसान ही है। प्रति स. 21 ने अपना विरास्तन हक वादीया व प्रति स. 19 व 20 के हक में परित्याग कर दिया है। जिसमें निस्फ हिस्सा का हक वादीया व प्रति स. 19 का ब.हि.ब. के हिसाब से व निस्फ हिस्सा का हक प्रति स. 20 का है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीया प्राप्त करने की अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 4 में दर्ज आराजी सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। सांझा खाता की उक्त वादग्रस्त आराजी का वादीया तथा प्रति स. 19 व 20 ने सांझा खाता के अन्य सह हिस्सेदारान के साथ अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्तं घरू बंटवारा मुताबिक उक्त खाता की समस्त 0.531 है० आराजी वादीया एवं प्रति स. 19 व 20 के हक हिस्सा व कब्जा में आई है। जबकि उक्त खाता के अन्य सभी सह हिस्सेदारान ने अपना हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त चक 1 एन.के.आर. में प्राप्त कर लिया है। उक्त चक 3 ए.एम.पी. की 0.531 है० वादग्रस्त आराजी में अन्य प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है। अतः वादीया उक्त वादग्रस्त आराजी का घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त निम्नानुसार खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एंव दावेदार है। वादीया व प्रति स. 19 का ब.हि.ब. का निस्फ हिस्सा व प्रति स. 20 का निस्फ हिस्सा का कब्जाः– चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 81/53 प.न. 159/140 मु.न. 89 किला नम्बर 23/1/.139 23/2/.038 गै. मु.रास्ता 24/1/.139 24/2/.038 गै.मु.रास्ता 25/1/.139 25/2/.038 गै.मु.रास्ता = 0.531 है0 चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 81/53 खाता आला वगैरा ज.स. 2072–75 में कमांक 1 ता 11 की जाति चालु जमाबन्दी में मजहबी दर्ज कर दी गई है। जबकि वास्तव में इनकी जाति जटसिख है। व प्रति स. 12 ता 18 की जाति अग्रवाल है। इसलिए उक्त जमाबन्दी में दुरूस्ती की जाकर इस खाता के समस्त सह हिस्सेदारो की जाति मजहबी/चुहडा के स्थान पर जटसिख/अग्रवाल पढी जावे। वादीया दावा की दफा 6 के अनुसार काबिज होकर काशत करती चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन आराजी में वादीया के दादा का नाम गलत दर्ज होने के कारण तथा उक्त आराजी वादीया के नाम दर्ज नही होने के कारण तथा सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादीया केधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीया के दादा का नाम दुरूस्त करवा आसा सिह पुत्र ईशर सिह के स्थान पर आत्मा सिह पुत्र ईशर सिह दर्ज करवा उक्त आराजी का वादीया को दावा की दफा 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान ले तथा वादीया का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग कायम करवा देवे। तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीया के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही वाद कारण है। प्रति स. 24

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

को लैण्ड होलडर होने के कारण बतौर ओपचारीक पंक्षकार बनाया गया है। जिनक प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया है। वाद वादी बाबत इस्तकरार हक, खाता तकसीम व जमाबन्दी दुरुस्ती का है। जो कि 6 रु की कोर्ट फीस पर पेश है तथा समायत अदालत हाजा एवं अन्दर मियाद है।

लिहाजा बाद तहकीकात वाद वादी बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे घोषणा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि चक 3 ए.एम.पी खाता स. 81/53 खाता आला वगैरा ज.स. 2072–75 की कुल 0.531 है0 आराजी के वादीयां व प्रति स. 19 व 20 खातेदार काश्तकार हैं। जिसमें निस्फ हिस्सा का हक वादीया व प्रति स. 19 का ब.हि.ब. के हिसाब से व निस्फ हिस्सा का हक प्रति स. 20 का है। इसमें प्रति स. 21 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः उक्त खाता से समस्त सहहिस्सेदारो का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खाता की कुल आराजी उक्तानुसार वादीया व प्रति स. 19 व 20 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन, जरिये रजिस्टर्ड डाक व अखबार से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हाजिर नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 को बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया एव न ही वाद पत्र डिकी करने पर कोई एतराज किया है। प्रतिवादी संख्या 22 जवाब स्टेट पेश नही किया गया। वादपत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये। तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्रांक 4161 दिनांक 26.09.2024 एव पत्रांक 1594 दिनांक 06.04.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावाली की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि तहसील संगरिया के अपवादित खाता चक 3 एएमपी की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81/53 के संबध में तहसीलदार राजस्व संगरिया मय पटवारी हल्का व रिपोर्ट गिरदावर के आधार पर मूलतः वादपत्र मुताबिक जमाबंदी पेश किया है। जमाबंदी के कुल रकबा में वादपत्र के पैरा संख्या 6 वादी/प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 का मौका पर वास्तविक कृषि भूमि पर कब्जा है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित भूमि पर शेष प्रतिवादीगण का भौतिक रूप से कब्जा नही है केवल जमाबंदी में नाम अंकित है। इससे अनावश्यक वाद बहुलता बढ़ती है। इनके नाम व हिस्सा राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे। इसलिए वाद वादी डिकी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सख्या 19 ता 21 को वाद पत्र के पैरा संख्या 6 अनुसार डिकी किया जावे व वाद पत्र के पैरा संख्या 6 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे। प्रतिवादी संख्या 19 ता 21 अधिवक्ता ने भी वादपत्र मुताबिक अनुतोष डिकी करने का कथन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 3 एएमपी की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 81/53 खाता आला वगैरा प्रदर्श 1 में वाद पत्र व अपवादित खाता रिपोर्ट तहसीलदार/पटवारी हल्का में वादी एवं प्रतिवादी 19 ता 21 के पूर्वज आत्मासिह के नाम से वाद पत्र के पैरा संख्या 3 से 8 अनुसार कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र में वर्णित शेष काश्तकारो के नाम से भूमि तो दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु भौतिक रूप से कब्जा काश्त नही होने से अनावश्यक वाद बहुलता बढना संभावित है तथा भ्रामक स्थिति राजस्व रिकार्ड के संबध में प्रकट होती है जो काबिल दुरुस्ती है। वादपत्र में जरिये सम्मन उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिकी करने पर कोई एतराज नही किया है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया मय रिपोर्ट पटवारी हल्का अपवादित खाता डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

क्रियात्मक आदेश

अत: उपरोक्त मुताबिक सहमति व तहसीलदार रिपोर्ट अपवादित खाता के आधार पर डिक्री किया जाता है कि – तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव/रिपोर्ट में चक 3 एएमपी प.न. 159/140 मु.न. 89 केला नम्बर 23/1/0.0139 है.बारानी प्रथम 23/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता 24/1/0.139 है. नहरी 24/2/0.038 है.नहरी 24/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता 25/1/0.139 है. नहरी 25/2/0.038 है. गै.मु.रास्ता कुल 0.531 है. नहरी/बारानी प्रथम मय गै.मु. भूमि पर मृतक आत्मासिह के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए इनके वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त इनके वारिसानों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा मुताबिक रिपोर्ट शेष काश्तकारों की कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उक्त खाते से इनका हिस्सा व नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री न्यायालय से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.5.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(जयं कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

मूल वाद में डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 405/2024

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

रसप्रीत कौर पत्नी हरनारायण सिह जाति जटसिख सा.ढाणी चक 21 एमजेडी (बगुलावाली) तह.संगरिया।

बनाम

1. आला पुत्र महताब सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
2. मेजर सिह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
3. सुखपाल सिह उर्फ गोरा पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
4. जग्गा सिह पुत्र मोहन सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
5. लाल सिह पुत्र मोहन सिह जाति जंटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
6. नर सिह पुत्र जगर सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
7. सुखमन्द्र सिह पुत्र जगर सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
8. नाजम सिह पुत्र गनी सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया
9. मुखत्यार सिह पुत्र चुनी सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
10. स्वर्ण सिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
11. जगसीर सिह पुत्र मल सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
12. रामरतन पुत्र सीतामल जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
13. रोनकराम पुत्र सीतामल जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
14. लाल सिह पुत्र महताब सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
15. सन्तलाल पुत्र लक्ष्मणदास जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
16. सरजीत कौर पुत्री इशर सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
17. सरजीत सिह पुत्र महताब सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
18. सागर सिह पुत्र कुण्डा सिह जाति अग्रवाल निवासी लम्बीढाब तहसील संगरियां।
19. रविन्द्र सिह पुत्र मंगल सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
20. मलकीत सिह पुत्र आत्मासिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
21. जसवीर कौर पुत्री आत्मासिह पत्नी जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख सा.लम्बीढाब तह.संगरिया।
22. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :– 13.5.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक, आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीयाा मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिह सिद्धू अधिवक्ता प्रति.संख्या 19 ता 21 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव/रिपोर्ट में चक 3 एएमपी प.न. 159/140 मु.न. 89 किला नम्बर 23/1/0.0139 है.बारानी प्रथम 23/2/0.038 है.गै.मु.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रास्ता 24/1/0.139 है. नहरी 24/1/0.139 है.नहरी 24/2/0.038 है.गै.मु.रास्ता, 25/1/0.139 है. नहरी 25/2/0.038 है. गे.मु.रास्ता कुल 0.531 है. नहरी/बारानी प्रथम मय गै.मु. भूमि पर मृतक आत्मासिह के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए इनके वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त इनके वारिसानों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा मुताबिक रिपोर्ट शेष काश्तकारों की कब्जा काश्त नही होने के कारण उक्त खाते से इनका हिस्सा व नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है।

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4161 दिनांक 26.09.2024 एवं पत्रांक 1594 दिनांक 06.04.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन/रिपोर्ट इस डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा।. खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज X मुब्लिक X बाबत X खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.5.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)